

2022/180

प्रपत्र-8

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

उपखण्ड शाहपुरा जिला शाहपुरा 2022
"खाता आपके द्वार-2016"
पत्तापत्र कैम्प 2022

83
2022

आदेश

175
30-6-22

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला

की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भाप्योकावास	114	वैक्टरमण पुत्र जयराज	वैक्टरकुमा (शर्मा) पुत्र वैक्टरमण पुत्र जयराज जिसका अमल करतु

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)

दिनांक :- 30-6-22

क्रमांक :- 176-177

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली ।

8/2/22

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)